...न सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर, दिनांकः 20 NOV 2015

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– भूमि आवंटन नीति वर्ष 2015 के संबंध में।

संदर्भः– आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 814 दिनांक 03.11.2015 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त प्रकरण के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार एक सारणी के रूप में बिन्दु संख्या (1) में आपके प्रस्ताव व बिन्दु संख्या (2) में विभागीय मत स्पष्ट किया गया है। जो निम्नानुसार हैः–

क.स.	जविप्रा द्वारा उठाये गये बिन्दू	विभागीय निर्देश
1	बिन्दु संख्या 1.3 में बेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटन किये जाने पर प्रतिबंध किया गया है। इस संबंध में निम्नांकित दो बिन्दु हैः– (1) बेशकीमती भूमि किसे मानना है ? (2) रियायती दर से क्या तात्पर्य है ?	(1) बेशकीमती भूमि से अभिप्रायः जोन / कालोनी विशेष में महत्वपूर्ण अधिक डी.एल.सी. की दरों वाली भूमि। (2) रियायती दर से अभिप्रायः निर्धारित आरक्षित दर से कम दर पर आवंटन करने से है।
2	बिन्दु संख्या 2.1 में यह प्रावधान किया गया कि संस्था या ट्रस्ट कहा रजिस्टर्ड हो। यूआईटी लैण्ड डिस्पोजल रूल्स, 1974 के नियम 18–ए एवं 19 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हैं कि किस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्योंकि नई आवंटन नीति एवं डिस्पोजल रूल्स में एकरूपता नहीं है। अतः उचित होगा कि इस आशय के आदेश जारी किये जाने कि यूआईटी लैण्ड डिस्पोजल रूल्स, 1974 के विभिन्नता होने के कारण नई आवंटन नीति के प्रावधान लागू होगें।	भूमि आवंटन नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक या तो ट्रस्ट हो सकता है या सोसायटी हो सकती है। परन्तु उसका रजिस्ट्रेशन केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए जहां तक यूआईटी डिस्पोजल रूल्स व नीति में एकरूपता का प्रश्न है। आवंटन नीति केबिनेट से अनुमोदित होने के बाद जारी हुई है। अतः आवंटन नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3	प्रपत्र–अ में संस्था के अनुभव का कोई	नीति में संस्था का तीन वर्ष पूर्व का

	उल्लेख नहीं [illegible] जाना प्रस्तावित है। नीति में यह स्पष्ट नहीं है कि जिस क्षेत्र में संस्था आवंटन चाहती है उस क्षेत्र में अनुभव कितने समय से है ? इस संबंध में आवंटन के अनुभव का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।	अस्तित्व आवश्यक है का उल्लेख किया गया है। आवंटन नीति में यह प्रावधान समुचित है।
4	प्रपत्र–अ के कॉलम संख्या 8 में पूर्व आवंटित भूमि का उपयोग का विवरण लिया जाना चाहिये जिसमें यह अंकित करवाया जाना अपेक्षित है कि संस्था इस भूमि का क्या उपयोग कर रही है।	संबंधित निकाय इसकी जानकारी स्वयं के स्तर पर कर सकती है। साथ ही निकाय/प्राधिकरण स्तर पर इस बाबत शपथ–पत्र पेश करवाकर आवश्यक सूचनाएं स्वयं के स्तर से प्राप्त कर सकती है। शपथ–पत्र का प्रारूप स्वयं निकाय बनावे।
5	नई आवंटन नीति कम संख्या 9 में राज्य सरकार के विभागो/उपकमों को भूमि आवंटन का ही प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार के विभाग/उपकमों को भूमि आवंटन की मांग करते रहते है। अतः उचित प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार के विभाग/उपकमों को भूमि आवंटन के प्रावधान किए जाए। साथ ही केन्द्र सरकार के विभाग/उपकम को किस दर पर भूमि आवंटन किया जाना है, इस बारे में स्पष्ट व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है।	केन्द्र सरकार के विभागों एवं उपकमों को भूमि आवंटन बाबत पृथक से आदेश जारी किये हुए है। आवंटन नीति में इनका उल्लेख नहीं है उनको आवंटन पूर्व प्रकिया के अनुसार होता रहेगा।
6	नीति के संलग्न परिशिष्ठ–1 के बिन्दु संख्या पैरा में संस्था के पदाधिकारियों /सदस्यों/प्रमोटर्स की साख का उल्लेख किया गया है। इसमें साख का क्या तात्पर्य है इसे स्पष्ट करवाया जाना अपेक्षित है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि क्या साख पदाधिकारियों/सदस्यों/ प्रमोटर्स से लिया जाना अपेक्षित है ?	इस संबध में उक्त संस्था/पदाधिकारियों की साख से अभिप्रायः उनके विरूद्ध आपराधिक/ आर्थिक अपराध से संबंधित न्यायिक प्रकरणों का नहीं होना एवं आवंटन करने वाले निकाय के यहां कोई बकाया नही होना आदि हो सकते है। इस संबंध में निकाय अपने स्तर पर शपथ–पत्र का प्रारूप तैयार कर वह भी आवेदक से ले सकती है।
7	नीति के बिन्दु संख्या 9.4 में राजकीय विभागों की भूमि की आवश्यकता होने पर विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन नगरीय विकास विभाग में प्रस्तुत करने का उल्लेख है। इस संबंध में अन्य संस्थाओं के आवेदनों की तरह राजकीय विभागों के आवेदन भी संबंधित नगरीय निकाय	यदि राजकीय विभाग निकाय में सीधे ही आवेदन करते है तो उस बाबत तुरन्त विभाग को सुचित किया जावे व यह भी सुनिश्चित किया जावे कि यह प्रार्थना पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवे। नगरीय विकास /स्वायत्त शासन

	... [illegible] किये जाने के आदेश प्रसारित किया ... अपेक्षित है।	विभाग पर स्तर पर चाहा गया भूमि का क्षेत्रफल व जरूरत के परीक्षण हेतु यह प्रावधान किया गया है।
8	नीति के बिन्दु संख्या 7.5 (2) में वर्ष 2001 के "बाद" के स्थान पर 2001 से "पहले" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित हैं।	वर्ष 2001 के बाद के आवंटन पर प्रभावी किया गया है न कि पूर्व के प्रकरणों में। तदनुसार कार्यवाही करे। संशोधन की आवश्यता नहीं है।

भददीय,

19/11/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. **निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।**
2. **मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।**
3. **निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।**
4. **सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, अजमेर।**
5. **निजी सचिव, महाप्रबन्धक, राजस्थान आवासन विकास एवं इन्फास्ट्रक्चर लि0 जयपुर।**
6. **सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।**
7. **प्रबन्धक निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जयपुर।**

19/11/15

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय